



2026:AHC:163054

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 27159/2026

रूप सिंह

...आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी(यों)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : आदित्य नारायण तिवारी
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : अतुल त्रिपाठी, जी.ए.

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपम आनंद, राज्य के विद्वान वाद धारक की दलीलें सुनीं और अभिलेख का परिशीलन किया।
- यह जमानत याचिका, इटावा जिले के एकदिल पुलिस स्टेशन में धारा 108 बीएनएस के तहत दर्ज मामले संख्या 0111/2026 में, मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
- आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रारंभ में, प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 103(1) बीएनएस के तहत दर्ज की गई थी। जांच के दौरान, मामले को धारा 108 बीएनएस के तहत परिवर्तित कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु का कारण फांसी के कारण दम घुटना है। इसके अलावा, प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों, गवाहों शुगर सिंह, राम नरेश, मेघनाथ और अखिलेश के बयानों और जांच के दौरान एकत्रित सामग्री के अनुसार, धारा 108 बीएनएस के तहत अपराध गठित करने के लिए आवश्यक तत्व आवेदक के विरुद्ध सिद्ध नहीं होते हैं। आत्महत्या के लिए उकसाने, जानबूझकर सहायता करने या मृतक को आत्महत्या के लिए बाध्य करने वाले किसी प्रत्यक्ष आचरण के अभाव में, केवल मानसिक उत्पीड़न, पीड़ा या शोक के आरोप आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं बनते हैं। अपने तर्क के समर्थन में, आवेदक के अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दो मामलों में दिए गए निर्णयों का हवाला दिया है: **निपुण अनेजा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (आपराधिक अपील संख्या 654/2017) दिनांक 03.10.2024** को निर्णित और **अभिनव मोहन डेलकर बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (आपराधिक अपील संख्या 2177-2185/2024) दिनांक 18.8.2025** को निर्णित। आवेदक 16.6.2026 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जांच पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन वे अभिलेख से उपरोक्त दलीलों का संतोषजनक खंडन नहीं कर सके।

5. पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बात सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु का कारण मृत्यु से पहले फांसी के कारण दम घुटना है। इसके अलावा, प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों, गवाहों (शुगर सिंह, राम नरेश, मेघनाथ, अखिलेश) के बयानों और जांच के दौरान एकत्रित सामग्री के आधार पर, आवेदक के विरुद्ध धारा 108 बीएनएस के तहत अपराध गठित करने के लिए आवश्यक तत्व सिद्ध नहीं होते हैं। आवेदक द्वारा ऐसा कोई प्रत्यक्ष या निकटवर्ती कृत्य नहीं किया गया है जिसे आत्महत्या के लिए उकसाने, षड्यंत्र रचने या जानबूझकर सहायता करने के रूप में माना जा सके। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक वर्तमान में एक महीने से अधिक समय से हिरासत में है और मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई उम्मीद नहीं है, खासकर तब जब राज्य द्वारा ऐसा कोई उचित संदेह सामने नहीं लाया गया है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा या गवाहों को डराएगा। मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. उपरोक्त मामले में आरोपी **रूप सिंह** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

- i. आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- ii. आवेदक अभियोजन गवाह पर दबाव नहीं डालेगा;
- iii. आवेदक को विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होना होगा।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

5 अगस्त, 2026

एसएस

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।